



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 1036 सन् 2026

देशराज

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

..... उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : मुकेश कुमार

उत्तरदातागण के लिए अधिवक्ता : सी.एस.सी., हरि नारायण सिंह

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया,

1. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के अधीन याचिकाकर्ता द्वारा दायर किए गए पुनरीक्षण, जिसे वाद संख्या 428 सन् 2025 के रूप में दर्ज किया गया था, के साथ अंतरिम संरक्षण प्रदान करने के लिए एक आवेदन भी दायर किया गया था।
2. यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि पुनरीक्षण याचिका को अंगीकार कर लिया गया था, लेकिन आज तक अंतरिम संरक्षण प्रदान करने के आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उत्तरदाता संख्या 2, जिसके समक्ष उपरोक्त पुनरीक्षण याचिका लंबित है, को अंतरिम संरक्षण प्रदान करने के लिए आवेदन पर शीघ्रता से उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाए।
4. पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. पक्षों के अधिवक्ताओं की सहमति से और न्याय के हित में भी, वर्तमान रिट याचिका का **अंतिम रूप से निस्तारण** किया जाता है, जिसमें उत्तरदाता संख्या 2 अर्थात् अतिरिक्त आयुक्त, न्यायिक, कानपुर मंडल, कानपुर को निर्देश दिया जाता है कि वह विधि के अनुसार **शीघ्रता से** संबंधित पक्षों को कोई अनावश्यक स्थगन दिए बिना, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो, अंतरिम संरक्षण प्रदान करने के लिए आवेदन पर उचित आदेश पारित करे।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडेया,)

फ़रवरी 10, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"